सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 18/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2016/00035

अनवान

1. श्री नारायण पिता नानजी मीणा, निवासी ग्राम सुवेरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर
2. श्री दिनेश पिता काउवाजी मीणा, निवासी ग्राम सुवेरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर
3. श्री बंशी पिता काउवाजी मीणा, निवासी ग्राम सुवेरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर
4. श्री नाना पिता सवाजी मीणा, निवासी ग्राम सुवेरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर

— प्रार्थीगण / अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बाबूलाल पिता हकरा, निवासी ग्राम सुवेरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती मीरकी पत्नी बाबूलाल मीणा,निवासी ग्राम सुवेरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर

— विपक्षीगण / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 11-04-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा सुवेरी, तहसील खेरवाडा में स्थित आराजी नं. 1092 रकबा 0.04 हे., 1094 रकबा 1.26 हे., 1095 रकबा 0.05 हे., 1096 रकबा 0.19 हे.कृषि भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज थी, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा कई वर्षो से चला आ रहा है। उक्त भूमि के पास ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि है। उक्त वर्णित आराजीयात में से विपक्षीगण को आराजी संख्या 1092 रकबा 0.01 हे., 1094 रकबा 0.42 हे., 1095 रकबा 0.02 हे., 1096 रकबा 0.09 हे. कृषि भूमि विपक्षीगण को दिनांक 14.02.2006 को नियमो के विपरीत आवंटन कर दी एवं उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 386 दर्ज किया जाकर विपक्षीगण के खाते गैर खातेदारी में नये आराजी नम्बर 4254 / 1092 रकबा 0.01 हे., 4255 / 1094 रकबा 0.42 हे., 4256 / 1095 रकबा 0.02 हे., 4257 / 1096 रकबा 0.09 हे. कुल किता 4 रकबा 0.54 हे. कृषि भूमि दर्ज की गयी। विपक्षीगण का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा है न ही किसी प्रकार के धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस विपक्षीगण को प्राप्त हुए है। इस प्रकार विधि के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर मिली भगत से विपक्षीगण को आवंटन किया गया है। आवंटन से पूर्व न मिसल कायम हुई, न आवंटी द्वारा विधिवत फार्म भरा गया, न अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार की गयी, न मौके की जांच की गयी, न उद्घोषणा

पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण को आवंटित भूमि को मिलाते हुए प्रार्थीगण द्वारा बाड़ बना रखी है एवं प्रार्थीगण ही इसका उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। विपक्षीगण का आवंटित आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा है। गैर खातेदारी भी विपक्षीगण को नियम विरूद्ध दी गयी है। विपक्षीगण एक ही परिवार के होकर इन्हे तीन टुकडों में अलग अलग भूमि आवंटित की है। इस प्रकार नियम विरूद्ध हुए आवंटन को निरस्त किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया, किन्तु दिनांक 30.01.2019 को उनके द्वारा प्रकरण में फर्द अहकाम पर ''नो इन्स्ट्रक्शन'' अंकित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार खेरवाड़ा से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गईं। तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण मे मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 में स्पष्ट किया है कि मौजा सुवेरी की आराजी संख्या 1092 रकबा 0.01 हे., 1094 रकबा 0.42 हे., 1095 रकबा 0.02 हे.,1096 रकबा 0.09 हे. भूमि राजस्व रेकार्ड में बाबूलाल पिता हकरा, मीरकी पत्नी बाबूलाल मीणा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। मौके पर आराजी संख्या 1092 रकबा 0.01 हे., 1094 रकबा 0.42 हे., 1095 रकबा 0.02 हे. पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है एवं आराजी नं.1096 रकबा 0.09 हे. भूमि पर आवंटी श्री बाबूलाल पिता हकरा मीणा का कब्जा होना पाया गया है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी से आवंटन पत्रावली संख्या 259/06 तलब की जाकर प्रकरण में एक तरफा बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होनें अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को विधि विपरीत बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदन करने पर पटवारी एवं भू–अभिलेख द्वारा जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी, मनोनीत सदस्य एस.सी., एस.टी. खेरवाडा, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर भी आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। इस प्रकार आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया नही पाया जाता है, किन्तु आवंटन के पश्चात् खसरा गिरदावरी एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर खातेदार (आवंटी) द्वारा कब्जा काश्त किया जाना प्रकट नही होता है, किन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विपक्षीगण को

आवंटित आराजीयात में से 1096 रकबा 0.09 हे. भूमि पर विपक्षीगण का ही कब्जा है तथा शेष आराजीयात पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर स्वयं का पुराना कब्जा होना बताया गया है किन्तु उसके पास पुराना कब्जा होने की पुष्टि में कोई दस्तावेजे जैसे धारा 91 के नोटिस आदि पेश नही किये गये है जिससे विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को आवंटित आराजी संख्या 1096 रकबा 0.09 हे. जिस पर विपक्षीगण का कब्जा है, के आवंटन को बहाल रखा जाना एवं शेष आराजीयात पर कब्जे के अभाव में विपक्षीगण को किया गया आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 14.02.2006 को आवंटित आराजी संख्या 1096 रकबा 0.10 हे. पर उनका कब्जा होने से किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है एवं शेष आराजी संख्या 1092 रकबा 0.01 हे., 1094 रकबा 0.42 हे., 1095 रकबा 0.02 हे. पर विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवंटन कब्जा काश्त के अभाव में खारिज किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही तहसीलदार खेरवाडा को प्रकरण में निर्देश दिये जाते है कि वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने वाली भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर